न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

वाद सं0 एम 88/2023-24
धारा 144 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष .... प्रेमशंकर साहु उर्फ गणेश साहु.......वगै0

बनाम

द्वितीय पक्ष ....मीना देवी ...... वगै0

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तारीख
	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0– 16/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष :–** (1) प्रेमशंकर साहु उर्फ गणेश साहु उम्र 52 वर्ष, पिता– स्व0 लक्ष्मीनारायण साहु (2) सीमा देवी उम्र करीब 46 वर्ष पति– प्रेमशंकर साहु उर्फ गणेश सिंह दोनों ग्राम–कामडारा, थाना–कामडारा, जिला–गुमला। वर्त्तमान पता– शिवाजी पथ, सदलहातु मोराबादी, थाना– बारियातु, जिला–राँची, **बनाम द्वितीय पक्षः–** (1) मीना देवी उम्र करीब 55 वर्ष, पति– आशा सिंह (2) विजय सिंह उम्र 26 वर्ष, पिता– आशा साहु, दोनों सा0 सांरगपानी, सनबोधा थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा (3) प्रकाश साहु उम्र करीब 30 वर्ष, पिता– स्व0 हरि सिंह (4) लखन सिंह उम्र करीब 36 वर्ष, पिता– स्व0 फिरन सिंह दोनों ग्राम– तुरबुल, थाना–कामडारा, जिला–गुमला के बीच मौजा– तुरबुल, थाना– कामडारा के खाता सं0 155 प्लॉट सं0 2889 रकबा 0.80 एकड़ भूमि पर दोनों पक्षों के बीच भूमि एवं घर को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों द्वारा अशांति भंग होने की सम्भावना है। थाना प्रभारी कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है। **प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–** प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। **द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–** द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में कामडारा थाना अप्राथमिकी संख्या 16/2023 दिनांक 04.10.2023 के तहत माननीय न्यायालय भेजे गये प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद दं0 प्र0 सं0 की धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है जो पोषणीय नहीं है। तथा प्रथम पक्ष को दं0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित करने योग्य है। मौजा– तुरबुल, थाना–कामडारा, थाना सं0 100 जिला गुमला अतंर्गत खाता संख्या 155 प्लॉट सं0 2889 रकबा 0.80 एकड़ में से 0.05 एकड़ जमीन पर विवाद लाया गया है। जो खतियानी जमीन वकास्त मालिक है। विवाद भूखण्ड द्वितीय पक्ष के प्रथम सदस्य मीना देवी द्वारा खरीदगी पट्टा संख्या 1157 दिनांक 21.10.2020 से प्राप्त की है। खरीदगी के उपरान्त उक्त भूखण्ड में मीना देवी द्वारा मकान बनाकर निवासरत है मकान में द0प्र0सं0. की धारा 144 प्रभावी नहीं है। जमीन खरीद बिक्री के पूर्व सभी कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जमीन का निबंधन हुआ है।	

विवादी भूखण्ड से संबंधित अंचल कार्यालय, कामडारा से भू-सत्यापन प्रतिवेदन जारी किया गया जिसमें उक्त निबंधित बिक्री पट्टा के विक्रेता पंजी II रैयत जगदेव सिंह के बहु मुलोवती देवी के नाम पर निर्गत हुआ है। विवादी भूखण्ड में प्रथम पक्ष का किसी तरह का हक, दखल, कब्जा, सात्व नहीं है। जिसके कारण सिविल कोर्ट, गुमला में ओरिजनल सूट संख्या 54/2021 मुकदमा किया है जो अभी लंबित है। द्वितीय पक्ष सीधे.सीधे गरीब शांतिप्रिय व्यक्ति है जिन्हें परेशान करने के लिए यह मुकदमा लाया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से शांति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रथम पक्ष की ओर शांतिभंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि द्वितीय पक्ष के सदस्यों को द0प्र0सं0 की धारा 144 से मुक्त किया जाय एवं प्रथम पक्ष को उक्त भूखण्ड में जाने से प्रतिबंधित किया जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 लिखित जवाब की छाया प्रति।

2 पट्टा की छाय प्रति।

3 ऑनलाईन लगान रसीद।

4. पंजी II की छाया प्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, दस्तावेज/कागजात एवं बहस सुनने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहूँची हूँ कि मौजा– तुरबुल, थाना–कामडारा जिला– गुमला के खाता संख्या 155 प्लॉट संख्या 2889 रकबा 0.80 ए0 में से 0.05 ए0 खतियानी जमीन वकास्त मालिक है। विवादी भूखण्ड द्वितीय पक्ष के प्रथम सदस्य मीना देवी खरीदगी पट्टा 1157 दिनांक 21.10.2020 से प्राप्त की है। अंचल कार्यालय, कामडारा से भू–सत्यापन प्रतिवेदन जारी किया गया जिसमें उक्त निबंधित बिक्री पट्टा के विक्रेता पंजी II रैयत जगदेव सिंह के बहु मुलोवती देवी के नाम पर निर्गत है।

उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किस प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा अन्य स्त्रोतो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

9/7/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

9/7/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया (गुमला)

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 14:38:06 +05:30
Location: 192.168.1.3